नागरिक पंजीयन प्रणाली

जन्म पंजीकरण

सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न

सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	**क्या भारत में जन्म पंजीकरण अनिवार्य है?**	जन्म–मृत्यु पंजीकरण अनिधियम (आरबीडी एक्ट), 1969 के अन्तर्गत भारत में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है।
2.	**जन्म–मृत्यु पंजीकरण अनिधियम (आरबीडी एक्ट), 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण कराये जाने हेतु क्या समयावधि निर्धारित है?**	जन्म–मृत्यु पंजीकरण अनिधियम (आरबीडी एक्ट), 1969 के अन्तर्गत बच्चे का जन्म पंजीकरण 21 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। यदि किसी कारणवश बच्चे का जन्म पंजीकरण निर्धारित अवधि के पश्चात् किया जाता है तो ऐसी स्थिति में मामूली रूप में विलम्ब शुल्क के साथ बच्चे का जन्म पंजीकरण सरलतापूर्वक किया जा सकता है।
3.	**जन्म प्रमाण–पत्र के क्या लाभ है?**	बच्चे के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए जन्म पंजीकरण किया जाना एक पहला महत्वपूर्ण कदम है। एक जन्म प्रमाण–पत्र बच्चे की राष्ट्रीयता, जन्म का स्थान एवं उसकी उम्र को प्रमाणित करता है। जन्म प्रमाण–पत्र द्वारा निम्नलिखित लाभ प्राप्त किये जा सकते हैः– • स्कूल में दाखिला लेने हेतु • राशनकार्ड में शिशु का नाम बढ़ाने हेतु। • बीमा पॉलिसी हेतु • ड्राइविंग लाईसेन्स हेतु • पासपोर्ट बनवाने हेतु • सरकारी एवं गैर सरकारी सेवाओं में प्रवेश हेतु • मतदान का अधिकार एवं चुनाव उम्मीदवारी हेतु • विवाह का अधिकार प्राप्त करने हेतु • बाल विवाह एवं बच्चों के अनैतिक व्यापार के विवादों को निपटाने हेतु • अन्य उद्देश्य जहां, आयु प्रमाणन की आवश्यकता है।
4.	**जन्म पंजीकरण के अन्य क्या लाभ हैं?**	जन्म–मृत्यु पंजीयन से व्यक्तिगत लाभ तो होता ही है साथ में राज्य प्रशासन को भी लाभ होता है। किसी भी तरह के विकास के आयोजन के लिए जनसंख्या के सही आकड़ों की जरूरत होती है, जो एक अच्छी नागरिक पंजीयन प्रणाली से उपलब्ध हो पाते हैं। जनगणना के बाद नागरिक पंजीयन प्रणाली ही एक ऐसा स्रोत है जिससे गॉव और पंचायत स्तर के आकड़े भी उपलब्ध होते हैं।
5.	**जन्म पंजीकरण कहाँ? किसके द्वारा?**	• जिस स्थान पर बच्चे का जन्म हुआ है उसी स्थान/क्षेत्र के अन्तर्गत बच्चे का जन्म पंजीकरण कराया जा सकता है। • ग्रामीण क्षेत्र–ग्राम पंचायत सचिव, ए0एन0एम0 (इन्चार्ज सब सेन्टर), अधीक्षक/प्रभारी, सी0एच0सी0/ पी0एच0सी0। • नगरीय क्षेत्र–नगर निगम/नगर पालिका परिषद– नगर आयुक्त/नगर स्वास्थ्य अधिकारी, अधीक्षक/ प्रभारी, समस्त महिला एवं पुरूष चिकित्सालय, कैण्ट बोर्ड/नगर पंचायत– अधिशासी अधिकारी, औद्योगिक क्षेत्र – चिकित्साधिकारी से पंजीकरण करायें।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
6.	**प्रदेश में अधिसूचक (नोटिफायर) किन्हें नामित किया गया है?**	जन्म पंजीकरण के सम्बन्ध में अधिसूचक (नोटिफायर) वह व्यक्ति होता है जो बच्चे के जन्म से सम्बन्धित सूचना निर्धारित प्रपत्र में रजिस्ट्रार को उपलब्ध कराता है। इस हेतु निम्न लोगों को अधिसूचक (नोटिफायर) के रूप में नामित किया गया है। 1. ए0एन0एम0 2. आशा 3. आंगनबाड़ी कार्यकत्री 4. सफाई कर्मचारी
7.	**जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है?**	जन्म प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु सूचक द्वारा फार्म सं0–1 भरते हुए जन्म से सम्बन्धित पूरी सूचना रजिस्ट्रार को उपलब्ध करायी जाती है। तत्पश्चात् रजिस्ट्रार द्वारा सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की वेबसाइट www.crsorgi.gov.in के सीआरएस पोर्टल पर सूचनायें भर कर जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। जन्म का पंजीकरण 21 दिन के अन्दर कराकर निःशुल्क प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जा सकता है। 21 दिन के उपरान्त् जन्म पंजीकरण कराये जाने की स्थिति में मामूली विलम्ब शुल्क का प्रावधान है।
8.	**यदि बच्चे का जन्म अस्पताल में होता है, तो जन्म प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है?**	यदि बच्चे का जन्म अस्पताल में होता है तो बच्चे का जन्म पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र निर्गत करने का दायित्व चिकित्सा अधीक्षक, जो कि जन्म एवं मृत्यु पंजीयन रजिस्ट्रार के रूप में नामित हैं, के द्वारा किया जाता है। यदि बच्चे का जन्म निजी अस्पताल में हुआ है तो ऐसी स्थिति में बच्चे के जन्म पंजीकरण एवं जन्म प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु निजी अस्पताल द्वारा स्थानीय रजिस्ट्रार को बच्चे के जन्म की सूचना प्रदान किया जाना अनिवार्य है।
9.	**बच्चे का जन्म घर पर होने की स्थिति में जन्म प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है?**	• बच्चे का जन्म घर पर होने की स्थिति में (यदि बच्चे का जन्म ग्रामीण क्षेत्र में हुआ है) परिवार के मुखिया द्वारा जन्म फार्म सं0–1 में भरकर पंचायत सचिव (ग्रामीण क्षेत्र हेतु रजिस्ट्रार) को उपलब्ध करायी जायेगी। पंचायत सचिव द्वारा फार्म सं0–1 की पूर्ण सूचनायें सीआरएस पोर्टल पर भरते हुए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा। • इसी प्रकार यदि बच्चे का जन्म नगरीय क्षेत्र में स्थित घर पर हुआ है तो ऐसी स्थिति में लाभार्थी (परिवार के मुखिया) द्वारा बच्चे के जन्म से सम्बन्धित सूचनायें फार्म सं0–1 भरकर नगर स्वास्थ्य अधिकारी/प्रभारी (नगरीय क्षेत्र हेतु रजिस्ट्रार) को उपलब्ध करायी जायेगी। इन सूचनाओं को नगर स्वास्थ्य अधिकारी/प्रभारी द्वारा सीआरएस पोर्टल पर भरते हुए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
10.	**जन्म पंजीकरण कराने हेतु क्या शुल्क देय है?**	• जन्म का पंजीकरण 21 दिन के अन्दर कराकर निःशुल्क प्रमाण–पत्र प्राप्त करें। • जन्म के 21 दिन से 30 दिन के भीतर पंजीकरण करवाने पर रू0 2/– का विलम्ब शुल्क देय होगा।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
		• जन्म के 30 दिन से एक वर्ष के भीतर पंजीकरण करवाने पर शपथ पत्र तथा रू0 5/– के विलम्ब शुल्क पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला पंचायती राज अधिकारी, नगरीय क्षेत्र के लिये उप–मुख्य चिकित्सा अधिकारी की लिखित अनुज्ञा पर प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा। • एक वर्ष की अवधि के पश्चात् पंजीकरण कराये जाने पर रू0 10/– का विलम्ब शुल्क, शपथ पत्र तथा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट (एस0डी0एम0 अथवा सिटी मजिस्ट्रेट) की लिखित अनुज्ञा पर प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
11.	**बच्चे के जन्म के 21 दिनों के पश्चात् जन्म पंजीकरण कराने हेतु क्या प्रक्रिया है?**	यदि किसी कारणवश जन्म पंजीकरण बच्चे के जन्म के 21 दिनो के पश्चात् कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में **आरबीडी अधिनियम की धारा 13** में निहित प्रावधान के अन्तर्गत बच्चे का जन्म पंजीकरण निम्नानुसार कराया जा सकता है। • बच्चे के जन्म की सूचना रजिस्ट्रार को जन्म के **21 दिन के बाद और 30 दिन के भीतर** दिये जाने पर उसका पंजीकरण विलम्ब शुल्क जमा करने पर किया जा सकता है। • जन्म की सूचना रजिस्ट्रार को **30 दिन के बाद परन्तु एक वर्ष के भीतर** दिये जाने पर पंजीकरण तब ही हो सकता है, जब नोटरी पब्लिक या प्रदेश सरकार द्वारा अन्य प्राधिकृत अधिकारी के सामने एफीडेविट प्रस्तुत करने के साथ लिखित अनुज्ञा के आधार पर विलम्ब शुल्क जमा किया गया हो। • **जन्म का पंजीकरण जन्म के एक वर्ष तक न हुआ हो,** तो उसका पंजीकरण सत्यापन के पश्चात् प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की आज्ञा/अनुज्ञा तथा विलम्ब शुल्क जमा करने के साथ किया जा सकता है।
12.	**क्या जन्म पंजीकरण के समय बच्चे का नाम दर्ज कराना अनिवार्य है?**	आर0बी0डी0 एक्ट में निहित प्रावधान के अनुसार जन्म पंजीकरण के समय बच्चे का नाम दर्ज कराना अनिवार्य **नहीं** है। बच्चे के नाम के बिना भी जन्म पंजीकरण कराते हुए जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।
13.	**बिना नाम वाले पंजीयन में बच्चे का नाम कैसे दर्ज करवाया जा सकता है?**	• अधिनियम के अनुसार अगर जन्म का पंजीकरण बिना नाम के हुआ है तो नाम की प्रविष्टि जन्म की तिथि से 12 माह के भीतर सूचना देने पर निःशुल्क करायी जा सकती है। • राज्य नियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत रजिस्ट्रार जन्म रजिस्टर में **12 माह के बाद परन्तु 15 वर्ष के अन्दर माता–पिता अथवा संरक्षक द्वारा सूचना दिये जाने एवं विहित शुल्क का भुगतान** करने पर नाम की प्रविष्टि कर सकता है।
14.	**जन्म प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि (डुप्लीकेट प्रति) किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है?**	बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र की प्रथम प्रति निःशुल्क प्रदान की जाती है। बच्चे के जन्म प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि (डुप्लीकेट प्रति) निर्धारित शुल्क प्रदान कर प्राप्त की जा सकती है।